

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

शुंथाराम बनाम राजकासहाय

मुकदमा नम्बर :- 62/2021

T.I.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
20/6/25		व.छ.अ. पत्रावली वस्ते वस्त्र-पत्रो व बाउ तुलसी हेतु आगामी दिनांक 04/7/25 को पेश हो।
4/7/25		प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16/7/25 का पेश हो।
16/7/25		व.छ.अ. पत्रावली वस्ते वस्त्र-पत्रो व बाउ तुलसी हेतु दिनांक 28/7/25 को पेश हो।
28/7/25		व.छ.अ. प्रार्थना/प्रतिवादी सं. 192/5 कि और जूरी के पेश प्रारूप-039R4 व 151 CPC जोरिंग निमित्त क मा.पत्र पत्रावली उपलोकन पर उक्त पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने पर अप्रार्थी प्रार्थना ने तुलसी मा.पत्र पेश करने का निर्देश दिया/ प्रार्थना/ सं. सं. 192/5 के और से नया प्रारूप 039R4 व 151 CPC जोरिंग निमित्त क पेश किया/ निमित्त जवाब जूरी के पेश हो चुका था। मा.पत्र जोरिंग निमित्त पर उचित बहक सुनी गयी। प्रार्थना ने जूरी बहक प्रारूप में पण्डित लक्ष्मी व प्रार्थना/वाडी के जवाब प्रारूप में पण्डित लक्ष्मी के दोहराया। मा.पत्र व पत्रावली क उपलोकन किया गया। बहक पर कगन किया गया।

सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)

फर्द अहकाम
 न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू (जिला-जयपुर ग्रामीण)

मुकदमा नम्बर :-

मुकदमा नम्बर :- 62/81

बनाम गाविस

कम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

पार्थक्य को प्रो.पा. ठा.प. व. 157 पर
 वीरिंग निर्माण के अनुमति मूलपत्र
 आवश्यक्ता होने से पार्थक्य को प्रो.पा.
 वीरिंग निर्माण को स्वीकार किया गया
 आशोधित प्रमाणित होता है अतः
 प्रमाणित / प्रतिवक्षि से. 1 व 2, 3
 को आशोधित के अन्तर्गत अस्थायी
 निषेधाज्ञा आदेशा दिनांक 01/11/2021
 में वीरिंग निर्माण को हटाने
 के लिए प्रमाणित की जाती है
 कोष आदेशा अभावत रखा।
 एक T.S. सुनी गयी। एक पर
 कान किया गया 7 पत्रावली को व्यवस्थित
 किया गया। आशोधित द्वारा पूर्व के
 जारी अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा
 आदेशा दिनांक 01/11/2021 के मूल पत्र
 के निस्कारण तक सम्पन्न किया गया
 आशोधित प्रमाणित होता है अतः
 T.S. के मूल पत्र के निस्कारण तक
 सम्पन्न किया जाता है पत्रावली
 दर्ज नंबर से एक है तथा मूल
 पत्र के संलग्न है।

सहायक कलक्टर
 चौमू (जयपुर)